GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 66 /92

S.C.No. 2 to MC No.21

No.E(NG)I/91/RG1/1 New Delhi, dated 30 -4-92.

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units etc.

Sub: Re-appointment in Group'C' categories.

In terms of instructions contained in Board's letter No.E52RCI/55/3 dated 14.3.55, as amended by their letter of even No. dated 27.12.91 a person who has resigned or retired prematurely can be reappointed as a fresh entrant on bottom seniority with the personal approval of the concerned coordinating Head of the Department(HOD).

2. The matter has been reviewed by the Board who have decided that persons who retire prematurely from service on their own option available to them under the relevant rules may be kept out of the purview of orders contained in their letter No.E52RCI/ 55/3 dated 14.3.55 as amended by their letter of even number dated 27.12.91. Restrictions regarding re-appointment of such persons i.e. those retiring prematurely on their own option will continue to be governed by instructions contained in Board's letter No.E(P&A)I-77/RT/46 dated 29.5.84.

Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

No.E(NG)I/91/RG1/1 New Delhi, dated 30 -4-92.

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-55 (with 35 spares).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110 055 (with 35 spares).

....2..

3. Members Staff Side, National Council/Departmental Council and the Secretary, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

K. Subramanian

for SECRETARY / RAILWAY BOARD.

Copy to:-

1. The Directors, Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering, Jamalpur, IRISET/Secunderabad, Indian Railway Institute of Civil Engineering/Pune, IRIEE/Nasik and the Principal, Railway Staff College, Vadodara.

2. The Secretary, Railway Board Group 'A' Officers' Association, Room No.256, Rail Bhavan, New Delhi.

3. The Railway Board Class-II Officers' Association, Railway Board.

4. The Secretary, Ministerial Staff Association, Railway Board.

5. The Secretary, Federation of Railway Officers' Association, Room No.317, Rail Bhavan, New Delhi.

6. The Secretary, Class-IV Staff Association (Group 'D'), Railway Board, New Delhi.

7. The Indian Railways Class-II Officers' Association, Rail Nilayam, Secunderabad.

(K.B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

Copy to:-

PS to MS, Adv(S), Secretary, EDV, EDE(N), EDE, EDE(Res), EDE(G), EDPC, JDE(P&A), JDE(R)I & II, JDP(G), DD(PC), DDE(N), DDE(R)I & II, E(Rep)I & II &III (each with 2 spares), E(SCT)I&II, PG, Vig. PC-III, IV, E(P&A)I&II, E(D&A), E(O)III, ERB-I, ERB-II, III & ERB-V Branches, Railway Board.

DE(Welfare) & DDE(R)II (with two spares).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. सं. 66/92

सं० ई(एन जी)I/91/आर जी 1/1 नयी दिल्ली, दिनांक 30.4.92

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: ग्रुप "सी" कोटियों में पुनर्नियुक्ति

बोर्ड के दिनांक 14.3.55 के पत्र सं. ई 52 आर सी आई/55/3 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, जिन्हें उनके दिनांक 27.12.91 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया है, यदि कोई व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है अथवा समय पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे संबंधित समन्वयन विभागाध्यक्ष के निजी अनुमोदन पर निम्नतम वरिष्ठता पर नये प्रवेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि जो व्यक्ति संबद्ध नियमों के तहत उन्हें उपलब्ध उनके स्वयं के विकल्प पर सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें दिनांक 14.3.55 के पत्र सं० ई 52 आर सी आई/55/3 में अंतर्विष्ट आदेशों, जिन्हें दिनांक 27.12.91 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया है, की परिधि से बाहर रखा जाए। ऐसे व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रतिबंध अर्थात् जो स्वयं के ही विकल्प पर समयपूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बोर्ड के दिनांक 29.5.84 के पत्र सं० ई (पी एंड ए)I-77/आर टी/46 में अंतर्विष्ट अनुदेशों द्वारा शासित होते रहेंगे।

कृपया पावती दें।

(के.बी. लाल)
संयुक्त निदेशक, स्था.(आरक्षण.)
रेलवे बोर्ड.

...2/-

सं0 ई॥एन जी॥।/91/आर जी ।/।   नयी दिल्ली, दिनांक 30 •4•92

प्रतिलिपि प्रेषित:

1· जनरल सेक्रेटरी ,आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ,4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली -55 ॥35 अतिरिक्त प्रतियों सहित ॥

2· जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, 3 चेम्सफोड रोड, नई दिल्ली-110055 ॥35 अतिरिक्त प्रतियों सहित ॥·

3· सदस्य कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद/ विभागीय परिषद तथा सचिव, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली·

के· सुब्रमणियन

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड·

प्रतिलिपि:

1· निदेशक, अखिल भारतीय यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर, अखिल भारतीय सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियरी संस्थान/ सिकन्दराबाद, अ·ल अखिल भारतीय सिविल इंजीनियरी संस्थान/पूणे ,अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरी संस्थान/नासिक तथा प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कालेज,वडोदरा ।

2· सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "ए" आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा न· 256, रेल भवन, नई दिल्ली·

3· रेलवे बोर्ड क्लास ।। आफिसर्स एसोसिएशन, रेलवे बोर्ड ·

4· सचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, रेलवे बोर्ड·

5· सचिव, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा न· 317, रेल भवन, नई दिल्ली·

6· सचिव, क्लास ।V स्टाफ एसोसिएशन /ग्रुप "डी"/, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

7· इंडियन रेलवे क्लास ।। आफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम ,सिकंदराबाद

॥ के·बी·लाल ॥

संयुक्त निदेशक, स्था· ॥अराज॥

रेलवे बोर्ड·